राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह/ग्रुप–7/2021 जयपुर दिनांक : 24.03.2021

आदेश

विषय :– होली एवं शब–ए–बारात के आयोजन पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक बाबत।

पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड–19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 23.03.2021 एवं अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2021 को सभी राज्यों को निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में, राज्य में जन समूह एकत्र होने के कारण कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इस हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.03.2021 को जारी की गयी गाईडलाईन्स की निरन्तरता में होली एवं शब–ए–बारात के अवसर पर दिनांक 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों/पार्कों/बाजारों/धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की इजाजत नहीं होगी एवं भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मास्क, सामाजिक दूरी, निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स व पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर द्वारा इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराई जावेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।

3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह